

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

सं०-5 बजट (1) 20/2022/.....05.....

राँची, दिनांक-02.01.25

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक-30.05.2024 के साथ संलग्न परिशिष्ट-V में टंकण त्रुटि के कारण बोकारो, सरायकेला, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गोड्डा, गढ़वा, देवघर, प० सिंहभूम, दुमका एवं पाकुड़ जिला के लिये झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अन्तर्गत निर्मित फिश फीड मिल से प्लोटिंग फीड के क्रय के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में आंशिक संशोधन किया जाता है।

- स्वीकृत्यादेश के फीड बेस्ड फिशरीज के परिशिष्ट-V में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को आंशिक संशोधित करते हुए संलग्न किया जाता है।
- निर्गत स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- शुद्धि-पत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 05...../राँची, दिनांक 02.01.25

प्रतिलिपि : अनुलग्नक (संशोधित परिशिष्ट- V) सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 05...../राँची, दिनांक 02.01.25

प्रतिलिपि : अनुलग्नक (संशोधित परिशिष्ट- V) सहित योजना-सह-विकास विभाग/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

